PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

Notification of the Ministry of Finance (Department of Revenue) under the Customs Act, 1962.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA) : Sir, I beg to lay on the Table, under section 159 of the Customs Act, 1962, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 238/88-Customs, dated the 18th August, 1988, reducing the export duty of coffee from the level of Rs. 170/- per quintal to Rs. 100/- per quintal, in supersession of the Notification No. 220/87-Customs, dated the 19th May, 1987, together with an Explanatory Memorandum thereon. [Placed in Library. *See* No. LT 6416/88]

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE RELIGIOUS INSTITUTIONS (PREVENTION OF MISUSE) ORDINANCE, 1988 (NO. 3 OF 1988)—*contd.*

II. RELIGIOUS INSTITUTION (PREVENTION OF MISUSE) BILL, 1988—*contd.*

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत इस बहु प्रतीक्षित विधेयक धार्मिक संस्थान दुरुपयोग निवारण का हार्दिक स्वागत करती हूं। देश में इस समय धर्म के नाम पर कट्टरवाद और उसकी आड़ में राजनीति का लाभ उठाने की प्रवृति जिस तरह जड़ जमाती जा रही है मैं आशा करती हूं कि यह विधेयक उस विष वृक्ष को समूल नाश कर सकेगा। लेकिन इस विधेयक के संदर्भ में कुछ मूलभूत मुद्दों पर विचार करना गौरतलब होगा।

दरअसल धर्म एक भावुक मसला है जो मनुष्य की अन्तरात्मा से जुड़ा हुआ है। जहां तक हमारे भारतीय समाज का प्रश्न है धर्म और समाज एक दूसरे से पृथक नही हैं। हर धर्म अपने समाज के लिये एक आदर्श की स्थापना करता है। लोगों मे प्रेम और भाईचारे की संवेदना जागृत करता है। आज से 5000 वर्ष पूर्व भारत को महान से महानतर बनाने की कल्पना करने वाले वेदव्यास ने घोषणा की थी "अरे लोगो। मैं अपनी दोनों भुजायें उठा कर उच्च स्वर में उद्घोष कर रहा हूं। लेकिन मेरी कोई नही सुनता। मानव जीवन के जो चार पुरूषार्थ हैं – धर्म, अर्थ काम और मोक्ष–इनमें सांसारिक जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक अर्थ और काम की सिद्धि भी धर्म के माध्यम से ही हो सकती है। लेकिन उन्होंने धर्म की व्याख्या स्पष्ट रूप से कर दी थी" उन्होंने कहा कि धर्म का सार है "आत्मः प्रतिकलानि परेषा न समाचरेत्" अर्थात् अपनी अन्तरात्मा के विरूद्ध अन्य व्यक्तियों के साथ आचरण नहीं करना चाहिये। "अर्थात जिससे अधिक से अधिक प्राणियों का अधिक से अधिक हित हो वही सत्य है वही धर्म है। इसी बात को महात्मा बुद्ध ने बहुत पहले अपने भिक्षुओं को उपदेश देते समय कही थी कि भिक्षुओं जब तुम उपदेश करने जाओ तो हमेशा अधिकतम लोगों के सुख और हित का ध्यान रखो जिस से लोक कल्याण हो सके। इसी से "वसुधैव कुटुम्बकम" वाली भारतीय संस्कृति की विशेषता चरितार्थ होती है।

धर्म समग्र जीवन का अंग है। इससे जीवन का कोई क्षेत्र अछूता नही रह सकता। राजनीति भी क्योंकि जीवन का अंग है इसलिये वह भी धर्म से अलग नही रह सकती। लेकिन राजनीति समय सापेक्ष तथा व्यावहारिक होती है। यह बुद्धिजन्य है। जबकि धर्म अनुभूतिजन्य, आचार प्रधान एवं नैतिकताप्रधान है। बहुत संभव है। धर्म की स्थापित मान्यतायें किसी खास

[श्रीमती वीणा वर्मा]

समय में अप्रासंगिक हो जाये । बीसवीं शताब्दी के इस दौर में यही हुआ है। भौतिकवादी सभ्यता तथा वैज्ञानिक बुद्धिवाद की लहर ने पूरे सामाजिक एवं मानसिक ढांचे में तबदीली ला दी है। इससे आज का बौद्धिक मनुष्य बहुत-सी उन धार्मिक मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है जो सत्य की कसौटी पर खरी नहीं उतरती । इसीलिये आज धर्म और राजनीति एक दूसरे से विपरीत छोरों पर खड़े दीख रहे हैं । लेकिन धार्मिक संस्थानों और उनके मठाधीशों को इससे अपनी सत्ता हिलती नजर आ रही है । वे आज भी उन्हीं मान्यताओं और मतवादों को जनता पर लादना चाहते हैं जो आज के युग में अप्रासंगिक हो चुके हैं । उन्हें नहीं पता कि हर युग का अपना धर्म होता है । मैं प्रसिद्ध विद्वान लैसलाट के विचारों को उद्धृत करना चाहती हूं :

यह भी कैसी जड़त है कि विचारक मुल्ले, पंडित, पादरी उन तमाम ग्रंथों को जो बिल्कुल दूसरी परिस्थितियों में लिखे और खोले और बोले गये थे, अकाट्य मानकर उन्हें आज के आदमी पर थोपते हैं, जब कि होना यह चाहिये कि आज के मनुष्य की अन्तःबाह्य स्थितियों और मनोविज्ञान के अनुरूप इन ग्रंथों में आवश्यक फेर बदल कर इन्हें प्रासंगिक बनाया जाय जबकि हो इससे ठीक उल्टा रहा है ।

जाहिर है आज जबकि मनुष्य धार्मिक संस्थाओं के क्रियाकलापों पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है । इन संस्थाओं में खलबली मचा हुई है । जिन पवित्र स्थलों से ज्ञान और नैतिकता का उद्घोष होना था आज वहां को घृणित राजनीति से हथियार जमा किये जा रहे हैं, किले बंदियां की जा रही है । ये धार्मिक ठेकेदार महसूस कर रहे हैं कि अब उनको अपनी सत्ता बचाये रखने का हथियार यही शेष है कि जनता की धार्मिक भावनाओं को जाग्रत कर एक धार्मिक साम्राज्यवाद स्थापित किया जाये । हमारा पंजाब और देश ही नहीं वरन् विश्व के तमाम हिस्से इस धार्मिक आतंकवाद के ज्वार को झेल रहे है । हमारे देश के तमाम धार्मिक स्थल इस घृणित राजनीति के केन्द्र बन गये है जिसे कोई भी जिम्मेदार सरकार सहन नहीं कर सकती । यह विधेयक एक जिम्मेदार सरकार द्वारा सही दिशा में उठाया गया एक सार्थक कदम है ।

इन निहित स्वार्थी तबकों ने जनता की भावुक आस्थाओं का नाजायज फायदा उठाते हुये धार्मिक स्थलों को जिस तरह राजनीतिक कुचक्रों का शिकार बना दिया है, इसके पीछे उनकी यह सोच काम कर रही है कि धार्मिक स्थलों पर कब्जा करके समाज और राजनीति दोनों का अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है, इसलिये इस संपूर्ण सोच के ढांचे को ध्वस्त करने की जरूरत है ।

अगर हम इतिहास पर दृष्टि डालें तो रोम-रोम थर्रा उठेगा । इस कट्टर धर्मधारित गुटबन्दी के ही कारण हम बार-बार *विदेशी आक्रमणकारियों से धराशायी किये* गये हैं और भाग्य की बिडम्बना यह रही कि हम अपनी इस भयानक मूर्खता को कभी समझ ही न पाये । हमने अपने को नहीं बदला, जमाना बदलता गया पर संसार की महानतम संस्कृति और सभ्यता लगातार पीसी जाकर गुलाम बनाई जा कर भी अपने को नही बदल पाई । तभी तो सारा राजनीति आज हमारी तथाकथित धार्मिक कट्टरता से भर गई है । धार्मिक स्थानों पर पुलिस न जाने पाये, किन्तु पापी और हत्यारे मजे से वहा रहें । धार्मिक स्थलों मे जाने पर पुलिस को हत्या की जाये और उस हत्याकांड को धार्मिक कृत्य माना जाये । मस्जिद वीरान रहे या गूंडों का अड्डा – मंदिरों की पवित्रता को चरस और गांजा और नाना प्रकार के दुराचरण कलुषित करते रहें पर सरकार या समाज उसे हाथ लगाये ।

हमने इधर के वर्षों में धार्मिक स्थलों से उपजी कट्टर राजनीति के विषम अभिशाप सहे हैं । यही वह विषबेलि थी जिस से

हमारी मसीहा प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को हमसे छीन लिया । देश के अनेक कोनों–कोनों में भाई-भाई के बीच फर्क डाला और दंगे करवाये । जिसके चलते लोग भूल गये कि जो गली के मुहाने पर मारा गया कल शाम ही उसके साथ कहकहे लगाये थे । जिसकी लाश सड़क पर मिली, अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ कदम से कदम मिलाते चल रहे थे ।

यह आकस्मिक नहीं है कि धार्मिक स्थलों की उपजी इस अंध राजनीति ने हमारी आस्थाओं को खंडित किया है और धर्म पर भी अनेक प्रश्नचिन्ह लगा दिये हैं । प्राचीनकाल में धर्म राजनीति के लिये नैतिकता का पाठ सिखाता था और आदर्श कर्तव्यों की स्थापना करता था लेकिन आज सब कुछ बदल गया सा लगता है । देवालयों से गूंजते घंटे का नाद, मस्जिदों से उभरती अजान और गुरुद्वारों से झरता गुरुग्रंथ साहिब का पाठ हमारे मन में संदेह और भय की सिरहन पैदा करता है । ऐसे में इस विधेयक की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है कि धर्म को घटिया राजनीतिक कुचक्रों से निजात दिलायी जाए ।

मैं आशा करती हूं कि यह विधेयक भारतीय संवैधानिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां धार्मिक राजनीति के धार्मिकीकरण दोनों से मुक्त धार्मिक स्थलों में अपनी आस्थाओं को आदर्श रूप में पा सकेगी ।

श्रीमती सूर्यकांता जयवंतराव पाटील (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1988 का समर्थन करने के लिये खड़ी
6.00 P.M. हुई हूं । मान्यवर धर्म को राजनीति से अलग करने वाला यह विधेयक निस्संदेह सराहनीय है । काश यह विधेयक कुछ पहले लाया जाता । धर्म और राजनीति का अपना अलग अलग स्थान है महत्व है । जहां तक धर्म का सवाल है, मेरा मत है कि यदि धरती पर धर्म न रहा होता तो शायद इंसान जानवर बन गया होता । धर्म तो आधार है, मापदंड है उचित और अनुचित का भेद करने का । हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या दुनिया का कोई भी धर्म अपराधी तत्वों का समर्थन नहीं करता, बेईमानी नहीं सिखाता । धर्माचार्यों ने कहा है आदमी के संबंध में कि ये जो दूसरे आदमी को समझता है वही विद्वान है, वही मनुष्य है, वही पंडित है, वही ज्ञानी भी है । लेकिन दुर्भाग्य का उद्भव तब हुआ जब धर्म को राजनीति से जोड़ा गया, जब कि धर्म और राजनीति दो अलग अलग बातें हैं, दो भिन्न भिन्न रास्तें हैं । राजनीति जब धर्म से जुड़ेगी तो निश्चय ही धर्म का ह्रास होगा और राजनीति का भी पतन होगा । यही कारण है कि स्वाधीनता के 40 वर्ष के शासन के बाद सरकार ने यह अनुभव किया कि धार्मिक स्थानों का धर्माचारियों द्वारा दुरुपयोग हो रहा है जिससे देश के सामाजिक जीवन को खतरा हो रहा है । तब जाकर यह विधेयक लाया गया है । इसके लिये मैं सरकार तथा माननीय मंत्री जी की प्रशंसा करती हूं । मान्यवर, यह विधेयक राष्ट्र विरोधी तत्वों को रोकने का एक प्रयास मात्र है । यह बात मुझे स्वीकार है । लेकिन यह विधेयक स्पष्टतया परिपूर्ण नहीं है । इस अपूर्णता का लाभ असम्प्रदायिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों को मिलेगा जब कि ऐसा नहीं होना चाहिये । इसके लिये धार्मिक संस्थानों की परिभाषा आपको अधिक स्पष्ट और व्यापक बनानी होगी, नहीं तो न्यायालयों से संदेह का लाभ उठाकर इनकी कानून से बचने की गुंजाइश रह जायेगी । इसी प्रकार इस विधेयक के खंड 6 में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे धार्मिक संस्थाओं की प्रबंध समिति के सिवाय अन्य किसी संगठन या व्यक्तियों को इस संस्था के परिसर में अपना कार्यालय चलाने की अनुमति न मिले इसलिये कानून के इस खंड को व्यापक रूप देना आवश्यक हो जाता है । इसी प्रकार इस विधेयक के 4 के उपखंड 9 में यह व्यवस्था है कि धार्मिक संस्था के रीति रिवाजों के अनुसार किसी धार्मिक समारोह में हथियार ले जाने की अनुमति दी गई है । लेकिन इनका गलत उपयोग न हो और पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुये सरकार को यह देखना होगा कि इसका दुरुपयोग न हो और ऐसे तत्व फिर से साम्प्रदायिक दंगे न भड़का पायें । कहीं यह विधेयक अप्रिय घटनाओं को रोकने

[श्रीमति सूर्यकांत जयवंतराव पाटिल]

में असमर्थ तो नहीं होगा और इस देश में जो इतिहास घटा है कहीं वह फिर से तो नहीं दोहराया जायेगा इस बात की सरकार अवश्य अपनी तरफ से चिंता करे और सारी चीजों का परिपूर्ण अध्ययन के बाद मैं सरकार से विनती करती हूं कि एक कम्प्रेहेंसिव बिल बनाकर लाया जाय ताकि भविष्य में इस प्रकार के दुरुपयोग की कोई संभावना न रहे । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करती हूं ।

DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI ; Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you very much for kindly giving me some time to speak on this Bill.

Sir, an effort was made in the month of May to promulgate an Ordinance, codifying the punitive measures for the misuse of religious intitutions and now a Bill has been brought forward before this august House.

Sir, I would like to know whether this Bill has been brought forward keeping in view certain sections of the people or keeping in view certain activities which are being carried on in certain parts of the country. I am saying this because this particular clause, clause 2 of the Bill, clearly says that no religious institution shall use or allow any of its premises to be used for the promotion or propagation of any political activity or for erecting or putting up of any construction or fortification, etc. Has the Government in view those religious institutions which have got very big structures, very big buildings, where they can have basements, etc. and where they can store arms and ammunition and other things ?

The timing of the Bill is also such that it seems that the Government has brought this Bill, keeping in view certain sections of the society in the country and also certain activities carried on by them. But the Bill is applicable in general to all the religious institutions. What exactly is the definition of 'religious institution' ? That also has not been given. Religious institutions, religion and religious rights are all quite different. There is a big distinction amongst all these. Religion is different. Religious institution is different. And religious rights are different. We cannot equate one with the other. Therefore, we would certainly like to know what exactly the Government has got in mind when they refer to 'religious institution'. It may not be a big institution. It may be a small institution or no institution at all It may be an idol placed on a high road where all the buses stop, a small idol is kept there and the person who keeps the idol wants to extract money from all the passengers and vehicles that go by that road. Therefore, such institutions are also called religious institutions. what exactly has the Government in mind ?

Sir, an effort has been made to bifurcate politics from religion. I wonder of course whether we have understood the true meaning of religion and aso the true meaning of politics. Having resolved to constitute India into a Sovereign, Democratic and Secular Republic, what action have we taken against those who have been indulging in such activities, who go against these things ? By secularism we do not certainly mean aversion to all the religions. We do not certainly mean encouragement of one specific religion also. Therefore, secularism may mean promoting equally or no promotion. Or it may mean that there would be no partiality for any religion or religious right or religious institution. But at the same time there are exceptions also in the Constitution where the Government can take away 'Devasam', proper administration of certain

temples in Kerala, or they can give certain encouragement to certain communal minorities or religious minorities also. There are certain provisions also which are exceptions to this. Therefore, Sir, what exactly is meant by these religious institutions and the manager of a religious institution ? Does he come under the provision 'public servants' ? These things have also to be made clear.

Religion which was once supposed to be a very broad-based one has ceased to be a broad-based one on account of the misinterpretation of disciples. Many a time I have quoted the broad-based definition of Hindu religion on the floor of this House.:

> "The Sruti, the Samritis and the noble ideas of the great people and pious ideas of the magnanimous—all these constitute the basis for religion."

That means, religion is to encompass all these good ideas, noble ideas of great people who had been there and who are going to come on this earth also.

I do mention here, Sir, that the duty of the king, which was considered as 'Rajdharma' was guided by the religious teacher. It was the religious teacher who gave the law to the country. Almost all the laws in our country have their divine origin. It may be the Hindu religion, it may be Islam, it may be Christianity or it may be the Roman law. Whatever religion we have, whatever law we have for that particular community finds its source in divine origin.

Therefore, under the circumstances, how far can we bifurcate politics and *Rajdharma* or *Rajneeti* and *Dharma* ? In Rigveda we find the word 'Dharma' used 50 times in a different sense. *Rajdharma* is the duty of the king. There are duties of the king, duties of the people elected and duties of those who are responsible for maintaining peace and order in the society.

According to a verse written by Kalidasa in 'Raghuvanash,' especially with reference to a king of the Raghu dynasty,the king collects taxes from the people in such a way as the sun collects vapours and gives them back increased thousand-fold in the form of rain. So, we cannot always say that *dharma* has a twisted meaning or a deformed meaning. When the disciples started giving a twisted and deformed meaning to *dharma* and a twisted and deformed meaning to politics and both of them came together,then we had to produce such pieces of legislation. I do not know how far they can be implemented with the spirit with which they are brought. The spirit is good and the idea behind it is quite good. But so far as the implementation part of it concerned, I am rather doubtful as to how we are going to make a distinction. When an assembly meets at a particular place, a so-called religious place, the evidence may not be forthcoming whether it is a religious place. The evidence to the effect that it is an unlawful assembly may not also be forthcoming.

We have in our country so many organisations which are based on communal things, but are recognised as political parties by the Election Commission. As long as these parties continue to be recognised as such, how are we going to prevent the activities, the so-called twisted and deformed activities, or the religious and communal activities of these parties ? I do not want to equate communal activities with religious activities. The two things are quite different. But in common parlance the people equate the two things—the communal activities and also the religious activities. I do not even equate the religious rites with the religious activities.

[Dr. (Shrimati) Sarojini Mahishi]

Religion is that which lifts up the human being to a higher level. *Dharna dharma.* Therefore, it is that which lifts up the human being. On being born, of course, he is not a polished person and not a cultured person. He has to grow up into a useful personality, useful for the society, useful for the country and useful for his fellow beings. Under the circumstances, I would like to say that the misinterpretation has been there. As Shri Jagannath Mishra spoke on the other side, I do believe that if proper education regarding religion had been given to the children at the elementary level itself, of course they would have been able to under it in a proper sense. If there is misinterpretation of religion and misinterpretation of politics, then certainly the result will not be good. Certainly, the result will be an undesirable thing. I do not know why, in spite of the prevalent laws that are already there the Government thought of bringing this Bill. Any person carrying on an unlawful assembly in the name of religion can be punished. Any person carrying on undesirable activities can also be punished. If this piece of legislation has been brought for certain purposes and keeping in view a certain section of the society, then I hope that particular section of the society will not try to misunderstand the thing. I hope that section will understand the spirit of these things. With these words, I do propose that the Government should bring a comprehensive Bill not separating religion and politics like this, but separating the undesirablea ctivities, misinterpretation of religion and the twisted and deformed politics. Thank you, Sir.

ठाकुर जगतपाल सिंह (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जो यह बिल लाये हैं यह बहुत जरूरी था। इसलिए जरूरी था कि जो धर्म की परिभाषाएं होने लगी हैं, धर्म जो समझा जाने लगा है और उसके माध्यम से जिस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी था कि ऐसा बिल आता।

उपसभाध्यक्ष महोदय, धर्म सिखाता है कर्म। कर्म दो प्रकार के होते है एक सुकर्म दूसरा कुकर्म। जहां सत्य है वहां झूठ भी है। जहां प्यार है वहां नफरत भी है, जहां त्याग है वहां लालच भी है। जब धर्म नफरत सिखाने लगता है, लालच सिखाने लगता है, घृणा सिखाने लगता है तो धर्म धर्म नहीं रहता अधर्म हो जाता है मैं मिसाल के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि आज आप देखें कि चाहे वह हिंदु धर्म हो, चाहे वह इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी चाहे वह सिख धर्म हो सब धर्म एक बात कहते हैं। वे सत्य, प्यार त्याग और सेवा की बात कहते हैं। लेकिन जब धर्म माध्यम बन जाता है शोषण का, धर्म माध्यम बन जाता है राजनीतिक सत्ता हथियाने का और भावनाएं उभाड़ कर जब धर्म के नाम पर व्यक्तियों को गलत रास्ते पर ले जाया जाता है तो धर्म नहीं रहता। जिस प्रकार से गउएं अनेक रंग की हैं लेकिन सभी का दूध सफेद है उसी प्रकार से सभी धर्म एक ही बात कहते हैं सत्य बोलो, प्यार करो, त्याग करो, सेवा करो। लेकिन जब किसी भी धर्म के महन्त, पूजा स्थलों, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ; हथियार इकट्ठे करना शुरू कर दें। धर्म की भावनाएं उभार कर लोगों पर गोलियां चलवाये, क्या यह धर्म है ? धर्म तो प्यार सिखाता है। आज क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, हजारों निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, क्या यह धर्म है ? इसे धर्म कहेंगे ? यह धर्म नहीं है। मैं आपको थोड़ी पुरानी याद दिलाना चाहता हूं। हमारे महात्मा राष्ट्रपिता गांधी जी जिन्होंने हिन्दुस्तान को आजादी दिलाई जिसके लिए उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं उस वक्त क्या धर्म के नाम पर क्या भावनाएं नहीं उभारी गईं और हमारा महात्मा हमारे

बीच में से चला गया। उसके बाद हिन्दुस्तान में धर्म के नाम पर भावनाएं उभार कर हमारी महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को गोली का निशाना नहीं बनाया गया? क्या यही धर्म है? अगर यह धर्म है तो सरकार क कड़े से कड़ा कानून बनाना चाहिए और इस तरह के कार्यों को रोकने के लिए अवश्य ही कदम उठाने चाहिएं। मैं और बहुत सी सीधी बात पूछना चाहता हूं, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य मुझे बतायें आज देश के अन्दर धर्म के नाम पर क्या नहीं हो रहा है? क्या मेरे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य खड़े होकर यह कहना चाहेंगे कि धर्म के नाम पर झूठ सिखाया जाए, नफरत सिखाई जाए तालिब सिखाया जाए और एक मजहब के खिलाफ दूसरे मजहब को खड़ा किया, जाए? क्या यही धर्म है? यह धर्म नहीं है। मानसिंह डाकू देवी की पूजा करता था, लेकिन निर्दोष लोगों का खून करता था, इसलिए हम उसे गाली देते हैं। उसे फांसी दी गई। क्या आप उसकी पूजा करेंगे? देवी का पुजारी था। धर्म के नाम पर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में जिस तरह की चीजें आज चल रहीं हैं क्या उनको नहीं रोका जाए? धार्मिक स्थल वह होते हैं जहां लोगों के सिर झुक जाते हैं जहां लोग प्रार्थना करते हैं और अपने ईष्टदेव को मानते हैं, वहां पर अगर हथियार रखे जाएं तो क्या वह मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे कहलाएं जायेंगे? सभी धर्म गुरुओं ने एक ही बात कही है, सत्कर्म करो। राजनीति और धर्म एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों जरूरी हैं। लेकिन धर्म का काम अपना है, राजनीति का काम अपना है। धर्म की जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को इंसानों को सिखा कर चाहे किसी वाक आफ लाइफ में आप काम करने जाइये उन मान्यताओं से करें तो अच्छी बात है। अगर आप सच्चाई में हैं, सत्य बोलते हैं, प्यार करते हैं, त्याग करते हैं तो आप धार्मिक आदमी हैं। अगर आप राजनीति में हैं और सत्य प्यार, त्याग और सेवा की भावना से काम करते हैं तो आप धार्मिक आदमी है। यदि आप अन्य कहीं भी इन मान्यताओं के आधार पर काम करते हैं तो आप धार्मिक आदमी हैं। धर्म यह है और धर्म सिखाता है सत्यकर्म, धर्म कुकर्म नहीं सिखाता है। मैं आपके माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जो बिल सरकार लाई है यह बहुत जरूरी था क्योंकि देश के अन्दर फिर वही भावनाएं उभारी जा रही हैं जो कि राष्ट्रपिता गांधी जी के गोली लगने से पहले उभारी गई थीं और उसी कारण हमारे महान संत हमारे बीच में नहीं रहे। यही भावनाएं उभार कर हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे बीच में से उठा ली गईं और आज वही भावनाएं इस देश में फिर पैदा की जा रही हैं। अगर धार्मिक स्थान उन लोगों के अड्डे बन जाएं जो विदेशी ताकत के माध्यम से देश की एकता को खंडित करने और निर्दोष लोगों को मारने का काम करें तो वह धर्म के स्थान नहीं हैं बल्कि वह पाप के स्थान बन जाएंगे। इसलिए वे पाप के स्थान न बन जाएं उसको रोकने के लिए कड़े से कड़ा कदम जो आप उठा रहे हैं उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं।

माननीय, आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और मैं अपने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से एक विनती करना चाहता हूं कि आज दुनिया की पुकार है और देश की पुकार है कि हम छोटी-छोटी भावनाओं में बहकर देश के उन गलत लोगों का साथ न दें बल्कि उनका सख्त विरोध करें जो कि इस देश को तोड़ना चाहते है। धर्म यह काम नहीं सिखाता है। आज धर्म नहीं जो लोग अधर्म सिखा रहे हैं उसका हमको डटकर मुकाबला करना चाहिए, यही मैं आपसे विनती करूंगा और फिर मैं सरकार को बधाई देते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।धन्यवाद।

श्री राधाचन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, यह जो धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1988 इस सदन में पेश है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं?

[श्री रामचन्द्र विकल]

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, चाहे इधर से य उधर से जो भी सदस्य बोले, सभी को मैंने सुना है, इस विधेयक का करीब-करीब सभी ने समर्थन किया है। कुछ कार्यान्वयन पर शंकाएं जरूर हुई है, जैसे अब चले गए, जसवंत सिंह जी और जनरल अरोरा, उन्होंने भी इसका इनडायरेक्टली समर्थन ही किया है। जसवंत सिंह जी तो यह कह रहे थे कि यह 1984 में क्यों नहीं आया, अध्यादेश क्यों आ गया, यानी वह भी चाहते थे कि इसे पहले आना चाहिए था, इतनी शिकायत उनकी है। बाकी मैं समझता हूं, इसका विरोध कहीं से नहीं हुआ, जैसी मैं सदस्यों की भावनाओं को समझ पाया हूं।

उपसभाध्यक्ष जी, जो चिंता का विषय है, वह यह है कि धर्म के जो मूल लक्ष्य हैं, उस पर कुछ भ्रांतियां हो गई हैं और हम संप्रदायों को धर्म समझ बैठे हैं। धर्म तो धारण करने की चीज है, जैसा और माननीय सदस्यों ने भी कहा।

धृति, क्षमा, दमो, अस्ते शौच इंद्रिय निग्रह, धो, विद्या, अहिंसा, सत्य। ये धर्म के दस लक्षण हैं, उन पर सारी दुनिया में कहीं विवाद नहीं है, धर्म तो मानव मात्र का एक है। अब बताइए, धैर्य किसको नहीं चाहिए? क्षमा किसको नहीं चाहिए? शक्ति किसको नहीं चाहिए? इंद्रियों पर कंट्रोल किसको नहीं चाहिए? शौच शुद्धि किसको नहीं चाहिए? विद्या किसको नहीं चाहिए? बुद्धि किसको नहीं चाहिए? अहिंसा किसको नहीं चाहिए? सत्य किसको नहीं चाहिए? ये धर्म के दस लक्षण हैं, जो प्राणी मात्र को चाहिएं, दुनिया भर के मानव को चाहिएं। लेकिन हम संप्रदायों को धर्म समझ बैठे हैं।

महात्मा गांधी अपनी प्रार्थना-सभा में यह कहते थे–"मंदिर मस्जिद तेरा धाम" और "ईश्वर अल्लाह तेरा नाम" यह भी कहते थे। फिर भी हम पाकिस्तान बनवा बैठे। हम धर्म को समझ नहीं पाए। इस विधेयक के द्वारा इस धर्म के मूल लक्षणों को समझना चाहिए। हमारे भारत की दुनियां में कहीं कोई साख है, विश्व-शांति में भारत का योगदान केवल इसलिए है कि मानव मात्र के लिए सोचने वाला यह देश रहा है, चाहे धर्म के दस लक्षणों से, चाहे वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से, चाहे किसी शांति की या अहिंसा की भावना से। इसलिए दुनियां में भारत को विश्व-शांति का अग्रणी नेता आज भी गिना जाता है। मुझे अनेक देशों में जाने का मौका मिला, विशेषकर रूस में, चीन में, जापान मे, वहां भारत को इस तरह से माना जाता है कि दुनियां में अगर कोई अमन और शांति करा सकता है या चाहता है तो वह भारत है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारा जो शांति पाठ है, उसे आप स्वयं भी मानते होंगे–ओम दैव शांति पृथ्वी शांति,.... आकाश, पृथ्वी सबमें शांति-शांति चाहते हैं। यह मूल भावना हमारे धर्म की और भारत की रही है, जिसको सारी दुनिया चाहती है। दुर्भाग्य यह है कि भारत में कुछ संकीर्ण लोग हैं, चाहे धर्म-गुरू बन गए हों, वह जो धर्म को न समझ कर एक-दूसरे को लड़ाकर अपने मतलब के लिए जघन्य से जघन्य अपराध कराने को तैयार हो जाते हैं। इन चीजों से हमें सावधान होना होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा व्यापक विधेयक का आश्वासन गृह मंत्री जी ने कहा और जगन्नाथ मिश्र जी ने काफी धाराओं के साथ चर्चा की, शायद उन्होंने ज्यादा गहन अध्ययन किया है इस विधेयक का, मैं उनसे सहमत हूं कि एक एक व्यापक विधेयक और आना चाहिए। धर्म से राजनीति को अलग करना, यह भी विवादास्पद विषय इसलिए बन गया है कि हम धर्म के मूल को नहीं समझ रहे। अब सत्य से राजनीति कैसे अलग हो सकती है, कैसे अहिंसा से राजनीति अलग हो सकती है? जो धर्म की दस बातें हैं, वे राजनीति से अलग करगे तो राजनीति अधूरी रह जाएगी, वह

पूरी नहीं होगी । इन मूल बातों को भी हमें इस विधेयक के साथ-साथ समझना पड़ेगा और इस दृष्टि से हमें एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष जी, आपको याद होगा, संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में । उस समय जाति-संस्थाओं के नाम एक महीने में उड़ा दिए लोगों ने, जब यह तय कर दिया कि गवर्नमेंट जाति-संस्थाओं के नाम पर आर्थिक सहायता नहीं देगी ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्यप्रकाश मालवीय) : जब चौधरी चरण सिंह जी मुख्य मंत्री थे ।

श्री रामचन्द्र विकल : जी हां, हम भी मंत्री थे । उन्हें मुख्य मंत्री बनाने वाले हम ही थे । खैर यह उनकी भावना थी, हमारी उस वक्त की गवर्नमेंट का फैसला था कि जाति-संस्था आर्थिक मदद नहीं ले सकेंगी तो एक महीने, दो महीने के अंदर जाति-संस्था कम हुई । अब किन-किन संस्थाओं का नाम लूं । बहुत से नामकरण मुझे ही करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ।

तो इस तरह से सरकार को दृढ़ दृष्टिकोण अपनाना होगा । धर्म को न समझ कर जो हिंसा फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं, द्वेष फैलाते हैं, और राष्ट्रीय-हितों को हानि पहुंचाते हैं, वह चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों, किसी भी जाति के हों, उन्हें क्षमा न करना, दंडित करना, अपराधी घोषित करना और ज्यादा से ज्यादा सख्त सजा देना, यह सरकार के दृष्टिकोण पर और उसकी कार्यक्षमता पर निर्भर करता । हमें ऐसी चीजों से जो देश को तोडती हैं, सख्ती से निपटना चाहिए । साथ ही कोई भी स्थान जहां से राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश होती है, विदेशी पैसे की ताकत से होती हो, हमें उनसे सावधान रहना चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, "राष्ट्र धर्म" सबसे ऊंचा धर्म माना जाना चाहिए । हमारे देश के सामने अब ऐसा समय आ गया है कि हमें राष्ट्र धर्म सबसे उत्तम मानना चाहिए और उसके लिए हमें अपने संप्रदाय, अपनी जाति, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी की भावनाएं भी राष्ट्र को समर्पित कर देनी चाहिएं । राष्ट्रधर्म सर्वोपरि है । इसलिए सरकार को दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए । उपसभाध्यक्ष महोदय, कहीं-कहीं हमारी सरकारी मशीनरी ठीक से काम नहीं करती है । वह दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी बना देता है । इसलिए हमें यह देखना होगा कि जब हम इतने अधिकार देने जा रहे हैं तो यदि वह मशीनरी अपराधी है या कोई व्यक्ति ऐसी गलती करता है, उसे भी सजा मिलनी चाहिए ।

इन चंद सुझावों के साथ उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं । हमारे गृह मंत्रीजी ने कहा कि यह गंभीर विषय है । इससे राष्ट्र धर्म, कर्त्तव्य-पालन और ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसका एक विधेयक दोबारा आना चाहिए । इस पर सारे सदन का समर्थन है, अतः मैं भी इसका समथन करता हूं और आपको और सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं ।

कुमारी सईदा खातून (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे धार्मिक संस्था (दुरूपयोग निवारण) विधेयक, 1988 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूं । इस विधेयक का समर्थन करती हूं ।

महोदय, यह विधेयक तो बहुत पहले आ जाना था, लेकिन "देर आयेद, दुरूस्त आयेद ।" हमें मालूम है कि हमारा धर्म-निरपेक्ष राज्य है और हमारे देश में सभी धर्मों की इज्जत की जाती है । सभी धार्मिक संस्थानों की इज्जत की जाती है । अगर हम इन धार्मिक संस्थाओं का उपयोग अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए करते हैं तो इससे बड़ा गुनाह मेरे खयाल में

[कुमारी सईदा खातून]

नहीं हो सकता । हमारी इबादत उस मालिक से, उस माबूद से पूरी हो ही नहीं सकती, अगर हम उनकी इबादतगाहों को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करें । मुस्लिम मजहब के एक बुजुर्ग के दिमाग में एक बार दूसरे मजहब के बारे में थोड़ा-सा खयाल आ गया था कि ये भी क्या मजहब है तो उनके दिमाग से तमाम इल्म निकल गया था और वे एक ईसाई सरदार की इतालवी खूबसूरत लड़की पर फिदा हो गए थे । उन्होंने उससे शादी की और सुलैब गले में डाल लिया । उनके कई साल सुअर चराने में बीते और आखिर में खुदा ने उन्हें माफ किया और यह बात सामने आई कि मौत और जिंदगी उस ऊपर वाले ने अपने पास रखी है । उसी की मर्जी से बच्चे का जन्म किसी भी मजहब में हो सकता है और वह उसी धर्म का अनुयायी हो जाता है जिस धर्म को उसके माता-पिता मानते हैं । कहने का मतलब यह है कि ये सभी धर्मों के धार्मिक स्थान बड़े पाक स्थान रहते हैं और उन स्थानों में बीजार रखना या किसी भी तरीके से उन स्थानों का उपयोग इबादत के अलावा अन्य तरीके से करना बहुत ही खराब है । इस विधेयक के द्वारा इस पर रोक लगायी जा रही है, इसलिए उसका मैं समर्थन करती हूं । बीजार रखने के अलावा गलत उपयोग में अन्य बातें भी आती हैं । जैसे कि मैंने जामा मस्जिद में देखा कि मौलाना बुखारी ने इंदिरा जी को मुस्लिमों पर जुल्म करने वाली बताकर उनके बारे में मुस्लिमों को बहकाने के लिए और उनका आक्रोश बढ़ाने के लिए एक बोर्ड उर्दू में लिखकर रख दिया है । यह मेन गेट के सामने ही रखा हुआ है । उसमें उर्दू जानने वाले पढ़कर जान सकते हैं कि उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ किस तरह से मुस्लिमों को भड़काने के लिए एक बहुत बड़े बोर्ड पर इबारत लिखी हुई है । मेरा शासन से अनुरोध है कि इस बोर्ड को जल्द-से-जल्द हटाया जाए । और इसके अलावा भी मैं शासन से एक चीज यह भी कहना चाहती हूं कि यह बिल तो आप लाए, जरूरी है लेकिन धार्मिक स्थानों पर जितनी सहूलियतें आप दे सकते हैं, देनी चाहिएं । जामा मस्जिद में यह चीज मुझको देखने को मिली थी कि वहां वजू के लिए जो पानी के हौज बने हैं वहां पूर्ण तरीके से सफाई बिल्कुल नहीं है और उन हौजों में कई दिनों तक पानी जमा रहता है और मर्ज फैलाने में उसका बड़ा योगदान रहता है क्योंकि उस पानी से वजू करने से चर्म रोग भी बहुत जल्दी फैल सकता है । इसवास्ते उन हौजों के पानी को हर रोज बदलना चाहिए और उन धार्मिक स्थानों में जितनी सहूलियतें आप दे सकते हैं, देनी चाहिएं । इस संबंध में आपने जो यह बिल लाया है उसका मैं समर्थन करती हूं ।

एक चीज और आपके ध्यान में मैं यह भी डालना चाहती हूं कि धर्म को राजनीति से अलग रखना जरूरी है । धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है । धार्मिक आदमी कभी गलत काम नहीं कर सकता, उसको ऊपर वाले का डर रहता है । इसलिए हमें धर्म को सड़कों पर नहीं लाना चाहिए । लेकिन धार्मिक स्थानों में, खासकर उन धार्मिक स्थलों पर, मेरा इशारा उन सूफी संतों और बाबाओं की दरगाहों की ओर है जहां हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी साथ जाते हैं, वहां पर राजनीति का दखल होना बहुत जरूरी है । ऐसे लोगों को अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए फोन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है और आज उन स्थानों पर सफाई इत्यादि का कुछ इंतजाम नहीं है । जब तक राजनीति उन स्थानों पर दखलन्दाजी नहीं करेगी, उन स्थानों की न सफाई हो सकेगी और न उनका कोई ठोस ढंग से इंतजाम हो सकेगा । तो हमें राजनीति का सहारा जिन मौकों पर लेना है और जिन स्थानों पर लेना वह बहुत जरूरी है और इसी राजनीति की दखल की वजह से ही जो आप यह बिल ला रहे हैं यह राजनीति का धार्मिक स्थानों में दखलन्दाजी का सबूत पेश कर रहा है यह चीज, और इस बिल का मैं समर्थन करती हूं ।

†[کماری سعیدہ خاتون (مدھیہ پردیش) : مان نیئے اپ سبھا ادھیکش مہودے - آپ نے مجھے دھارمک سنستھا (دروپیوگ نوارن) ودھے یک ۱۹۸۸ پر بولنے کا موقع دیا اس کے لئے میں آپ کی شکر گزار ہوں - میں اس ودھےیک کا سمرتھن کرتی ہوں -

مہودے - یہ ودھےیک تو بہت پہلے آ جانا تھا - لیکن "دیر آید درست آید" ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا دھرم نرپیکش راجیہ ہے اور ہمارے دیش میں سبھی دھرموں کی عزت کی جاتی ہے - اگر ہم ان دھارمک سنستھانوں کا اپیوگ اپنی سوارتھ سدھی کیلئے کرتے ہیں تو اس سے بڑا گناہ میرے خیال میں ہو ہی نہیں سکتا - ہماری عبادت اس ملک سے محبت سے پوری ہو ہی نہیں سکتی - اگر ہم انکی عبادت گاہوں کو اپنے سوارتھ کیلئے اپیوگ کریں مسلم مذہب کے ایک بزرگ کے دماغ میں ایک بار دوسرے مذہب کے بارے میں تھوڑا سا خیال آ گیا تھا کہ یہ بھی کیا مذہب ہے - تو ان کے دماغ سے تمام علم نکل گیا تھا اور وہ ایک عیسائی سردار کی اکلوتی لڑکی پر فدا ہو گئے تھے - انہوں نے اس سے شادی کی اور صلیب گلے میں ڈال لیا - انکے کئی سال سوئر چرانے میں بیتے اور آخر میں خدا نے انہیں معاف کیا اور یہ بات سامنے آئی کہ موت اور زندگی اس اوپر والے نے اپنے پاس رکھی ہے - اسی کی مرضی سے بچے کا جنم کسی بھی مذہب میں ہو سکتا ہے اور وہ اسی دھرم کا انویائی ہو جاتا ہے جس دھرم کو اس کے ماتا پتا مانتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبھی دھرموں کے دھارمک استھان بڑے پاک استھان رہے ہیں اور ان استھانوں میں اوزار رکھنا یا کسی بھی طریقے سے ان استھانوں کا اپیوگ عبادت کے علاوہ دوسرے طریقے سے کرنا بہت ہی خراب ہے - اس ودھےیک کے ذریعہ اس پر روک لگائی جا رہی ہے - اسلئے میں اس کا سمرتھن کرتی ہوں - اوزار رکھنے کے علاوہ غلط اپیوگ میں دوسری باتیں بھی آتی ہیں - جیسے کہ میں نے جامع مسجد میں دیکھا کہ مولانا بخاری نے اندرا جی کو مسلمانوں پر ظلم کرنے والی بتا کر ان کے بارے میں مسلمانوں کو بھڑکانے کیلئے اور ان کا اکروش بڑھانے کیلئے ایک بورڈ اردو میں لکھ کر رکھ دیا ہے - یہ میں گیٹ کے سامنے ہی رکھا ہوا ہے - اسمیں اردو جاننے والے پڑھکر جان سکتے ہیں کہ انہوں نے اندرا گاندھی کے خلاف کسی طرح مسلموں کو بھڑکانے کیلئے ایک بہت بڑے بورڈ پر عبارت لکھی ہوئی ہے - میرا شاسن سے انورودھ ہے کہ اس بورڈ کو جلد

†Transliteration in Arabic Script.

[کماری سعیدہ خاتون]

سے جلد ہٹایا جائے - اور اسکے علاوہ بھی میں شاسن سے ایک چیز یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بل تو آپ لائے - ضروری ہے لیکن دھارمک استھانوں پر جتنی سہولتیں دے سکتے ہیں دینی چاہئے - جامع مسجد میں یہ چیز مجھے دیکھنے کو ملی تھی وہاں وضو کیلئے جو پانی کے حوض بنے ہیں وہاں پورے طریقے سے صفائی بالکل نہیں ہے اور ان حوضوں میں کئی دنوں تک پانی جمع رہتا ہے اور مرض پھیلنے میں اسکا بڑا یوگدان رہتا ہے کیونکہ اس پانی سے وضو کرنے سے چرم روگ بھی بہت جلدی پھیل سکتا ہے - اس واسطے ان حوضوں کے پانی کو ہر روز بدلنا چاہئے اور ان دھارمک استھانوں میں جتنی سہولتیں آپ دے سکتے ہیں دینی چاہئے اس سمبندھ میں آپ نے جو یہ بل لایا ہے اسکا میں سمرتھن کرتی ہوں -

ایک چیز اور آپ کے دھیان میں یہ بھی دالنا چاہتی ہوں کہ دھرم کی راج نیتی سے الگ رکھنا ضروری ہے - دھارمک ہونا بہت اچھی بات ہے - دھارمک آدمی کبھی غلط کام نہیں کرسکتا - اسکو اوپر والے کا ڈر رہتا ہے - اسلئے ہمیں دھرم کو سڑکوں پر نہیں لانا چاہئے - لیکن دھارمک استھانوں میں خاصکر ان دھارمک استھانوں پر میرا اشارہ ان صوفی سنتوں اور باباؤں کی درگاہوں کی اور ہے جہاں ہندو مسلم - سکھ - عیسائی سبھی ساتھ جاتے ہیں وہاں پر راج نیتی کا دخل ہونا بہت ضروری ہے - ایسے لوگوں کو اپنی بات ایک دوسرے تک پہونچانے کیلئے فون کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آج ان استھانوں پر صفائی وغیرہ کا کچھ انتظام نہیں ہے - جب تک راجنیتی ان استھانوں پر دخل اندازی نہیں کریگی ان استھانوں کی نہ صفائی ہو سکیگی اور نہ انکا کوئی ٹھیک ڈھنگ سے انتظام ہو سکے گا - تو ہمیں راجنیتی کا سہارا جن موقعوں پر لینا ہے اور جن استھانوں پر لینا وہ بہت ضروری ہے - اور اسی راجنیتی کی دخل کی وجہ سے ہی جو آپ یہ بل لا رہے ہیں یہ راجنیتی کا دھارمک استھانوں میں دخل اندازی کا ثبوت پیش کر رہا ہے - یہ چیز اور اس بل کا میں سمرتھن کرتی ہوں -]

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) इस परिनियत संकल्प और विधेयक पर चर्चा समाप्त हुई । संकल्प के प्रस्तावक श्री जसवंतसिंह और मंत्री श्री चिदम्बरम् कल उत्तर देंगे । अब हम उठते हैं और कल 19 अगस्त, 1988 को 11.00 बजे फिर मिलेंगे ।

The House then adjourned at thirty-three minutes past sixof the clock till eleven of the clock on Friday, the 19th August, 1988.

MGIPMRND—M—995 RS